रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, बहस्पतिवार, मई 16, 2019/वैशाख 26, 1941
No. 307] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2019/VAISAKHA 26, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2019

सा.का.नि. 368(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

'12ख. कंपनी के निदेशकों को ई-प्ररूप एक्टिव फाइल करना अपेक्षित है.-

(1) जहां कोई कंपनी, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25क द्वारा प्रशासित है, वह इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ई-प्ररूप एक्टिव फाइल करने में असफल रहती है, उसके वर्तमान निदेशकों जिनको निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आबंटित किया गया है, को "एक्टिव गैर-अनुपालक कंपनी का निदेशक" के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(2) जहां किसी निदेशक का डीआईएन "एक्टिव गैर-अनुपालक कंपनी का निदेशक" के रूप में चिन्हित किया गया है, ऐसा निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25क द्वारा प्रशासित सभी कंपनियां, जहां ऐसा निदेशक इस प्रकार नियुक्त किया गया है, ई-प्ररूप एक्टिव फाइल करें।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सभी कंपनियां अततः ई-प्ररूप एक्टिव फाइल करें, ऐसे निदेशक का डीआईएन "एक्टिव अनुपालक कंपनी का निदेशक" के रूप में चिन्हित किया जाएगा।'।

[फा. सं. 1/22/2013-सीएल.V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.671(अ)	18.09.2014
2.	सा.का.नि.42(अ)	19.01.2015
3.	सा.का.नि.839(अ)	05.07.2017
4.	सा.का.नि.51(अ)	22.01.2018
5.	सा.का.नि.431(अ)	07.05.2018
6.	सा.का.नि.558(अ)	12.06.2018
7.	सा.का.नि.615(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि.798(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि.904(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि.339(अ)	30.04.2019

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2019

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Second Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, after rule 12A, the following rule shall be inserted, namely:-

'12B. Directors of company required to file e-form ACTIVE.- (1) Where a company governed by Rule 25A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, fails to file the e-form ACTIVE within the period specified therein, the Director Identification Number (DIN) allotted to its existing directors, shall be marked as "Director of ACTIVE non-compliant company".

(2) Where the DIN of a director has been marked as "Director of ACTIVE non-compliant company", such director shall take all necessary steps to ensure that all companies governed by rule 25A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, where such director has been so appointed, file e-form ACTIVE.

(3) After all the companies referred to in sub-rule (2) file the e-form ACTIVE, the DIN of such director shall be marked as "Director of ACTIVE compliant company".'.

[F. No. 1/22/2013-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E) dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 671(E)	18.09.2014
2.	G.S.R. 42(E)	19.01.2015
3.	G.S.R. 839(E)	05.07.2017
4.	G.S.R. 51(E)	22.01.2018
5.	G.S.R. 431(E)	07.05.2018
6.	G.S.R. 558(E)	12.06.2018
7.	G.S.R. 615(E)	05.07.2018
8.	G.S.R. 798(E)	21.08.2018
9.	G.S.R. 904(E)	20.09.2018
10.	G.S.R. 339(E)	30.04.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.05.17 15:38:20 +05'30'